न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामरख मीना आर.ए.एस निर्णय दिनांक 17/5/2017
वाद स. 349/16

प्रवीण कुमार पुत्रश्री राम कुमार जाति जाट साकिन दीनगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

—वादी

ब ना म

1. मदनलाल पि. मु. बलूराम
2. हरिराम पुत्रश्री पुरखाराम(फौत)
2/1 विनोद कुमार | पि. लालाराम पुत्र हरिराम
2/2 सुभाषचन्द्र |
2/3 अनिल कुमार पुत्र मोहनलाल पुत्र हरिराम
3. राजेन्द्र कुमार | पि. दानाराम
4. धर्मपाल |
5. राकेश | पि. मदनलाल
6. राम सिह |
7. सुगनी पत्नि दलपत सिह(नामकलमजन)
8. ओम प्रकाश | पि. दलपतसिह
9. जगदीश |
10. सुदेश |
11 विकास |

जाति जाट साकिन दीनगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

12. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह.संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित
1 श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एडवोकेट — वादीगण
2 श्री गुरमीत सिंह कलसी एडवोकेट.— प्रति.स. 1व 3 ता 6 व 8 ता 11

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी के नाम चक 4 डी.एन.जी. के खाता सं 51/48 खाता मदनलाल वगैरा ज.सं. 2071 ता 2074 मे साझां खाता मे आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है दावा की दफा 2 मे दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी एंव प्रतिवादीगण ने आपस मे काश्त की सुविधाओ को मद्देनजर रखते हुये तथा आराजी के एकीकरण के लिए अच्छी मे से अच्छी तथा मंदी मे से मंदी के मुताबिक घरू बंटवारा कर रखा है उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्रति नं 2 हरिराम पुत्रश्री पुरखाराम ने अपना समस्त हक व हिस्सा व कब्जा चक 15 बी.जी.पी. मे प्राप्त कर लिया है। उक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रति नं 2 का कोई हक व हिस्सा व कब्जा नही है। मुताबिक घरू विभाजन वादी तथा प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा तथा कब्जा मे दावा की दफा 3 के अनुसार आराजी प्राप्त हुई है तथा इसी मुताबिक अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते है वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन उक्त आराजी साझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादी का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग—2 कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा रकम राज अलग—2 कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टाल मटोल करते रहे लेकिन अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।

उक्त तथ्यो के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी स. 1 व 3 ता 5 व 8 ता 11 ने जरिए वकील जबाबदावा पेश कर वादी के वाद से सहमति जताई । प्रति. स. 2/1 ता 2/3 की तलबी करवाई जाकर बाद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाई की गई । वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10(2)सी.पी.सी पेश किया कि प्रति. स. 7 फौत हो गई हे जिनके विधिक वारिसान पूर्व मे ही उक्त दावा मे बतौर प्रति. स. 8 ता 11 के रूप मे पक्षकार है अतः नया पक्षकार बनाए जाने की कोई आवश्यकता नही है अतः प्रति. स. 7 का नाम दावा शीर्षक से कलमजन किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रति. स. 7 का नाम कलमजन किया जावे। साक्ष्य वादी मे वकील वादी द्वारा वादी का शपथपत्र पेश किया गया व दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए वकील वादी और साक्ष्य पेश नही करना चाहते ।अतः शेष साक्ष्य वादी बन्द किए गए । साक्ष्य पेश होने पर बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा मे दर्ज तथ्यों को दोहराया व अपना वाद डिग्री करने हेतु निवेदन किया । बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन से वाद वादी साबित पाए जाने से वाद वादी डिग्री किया जाता है ।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि चक 4 डी.एन.जी. के खाता नं. 51/48 खाता मदनलाल वगैरा ज.सं. 2071 ता 2074 मे दर्ज कुल आराजी दावा की दफा 3 के मुताबिक वादी तथा प्रतिनं 1–3 ता 6 व 8 ता 10 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता मे से हरिराम, दानाराम पि. पुरखाराम व प्रति नं 7 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी मुताबिक खाता अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 17/5/2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

{ रामरख मीना }
सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

42

डिग्री एंव मुकदमे ईब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – रामरख मीना आर. ए. एस

प्रवीण कुमार पुत्रश्री राम कुमार जाति जाट साकिन दीनगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादी

बनाम

1. मदनलाल पि. मु. बलूराम
2. हरिराम पुत्रश्री पुरखाराम(फौत)
2/1 विनोद कुमार | पि. लालाराम पुत्र हरिराम
2/2 सुभाषचन्द्र
2/3 अनिल कुमार पुत्र मोहनलाल पुत्र हरिराम
3. राजेन्द्र कुमार | पि. दानाराम
4. धर्मपाल
5. राकेश | पि. मदनलाल
6. राम सिह
7. सुगनी पत्नि दलपत सिह(नामकलमजन)
8. ओम प्रकाश | पि. दलपतसिह
9. जगदीश
10. सुदेश
11 विकास
12. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह.संगरिया

| जाति जाट साकिन दीनगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

–प्रतिवादीगण

मु. स 349/16

दावा अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड.वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि चक 4 डी.एन.जी. के खाता नं. 51/48 खाता मदनलाल वगैरा ज.सं. 2071 ता 2074 मे दर्ज कुल आराजी दावा की दफा 3 के मुताबिक वादी तथा प्रतिनं 1–3 ता 6 व 8 ता 10 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता मे से हरिराम, दानाराम पि. पुरखाराम व प्रति नं 7 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी मुताबिक खाता अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

अ **वादी प्रवीण कुमार पुत्रश्री राम कुमार का हिस्साः–**

चक 4 डी.एन.जी.

180/133 30 16/.013 17/.025, 25/.051 =0.089 है.

ब. **प्रति नं. 1 मदनलाल पि.मु. बलूराम का हिस्साः–**

चक 4 डी.एन.जी.

180/133 30 5/.228, 6–14–15/.253प्रं. 16/.240 17/.228, 25/.202, गै.मु./026 =1.683 है.

181/133 29 1–10/.253प्रं. =0.506 है.

स **प्रति नं 3–4 राजेन्द्र कुमार , धर्मपाल पि. दानाराम का हिस्साः–**

4 डी.एन.जी.

180/134 35 6/.228, 14/.253, 15/.228, गै.मु./.051 =0.760 है.

द. **प्रति नं 5–6 राकेश, राय सिह पि. मदनलाल का हिस्साः–**

4 डी.एन.जी.

181/133 29 2–3–8–9–11–12–19 ता 22/.253प्रं. =2.530 है.

क. **प्रति.नं. 8 ता 10 ओम प्रकाश,जगदीश,सुदेश,विकास पी. दलपत सिह का हिस्साः–**

चक 4 डी.एन.जी.

180/132 16 25/.228, गै.मु./.025 =0.253 है.

181/132 17 9 ता 12, 19 ता 23/.253प्रं. =2.277 है.

निज..................... मुब्लिक..................... बाबत.....................खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 17/5/2017 को जारी की गई।

{ रामरख मीना }

सहायक कलैक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

संगरिया